

## आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

**का.आ. 1557(अ).**—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

2. मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् -:  
"(2) यह 03 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1647(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4601(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

**ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

**S.O. 1557(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of October, 2023”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1647(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended vide number S.O. 4601(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.